

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी:— चन्द्रशेखर भण्डारी, RAS

प्रकरण सं० 3625/2016 प्रार्थना पत्र

सवा पिता जयचंद जी डांगी आयु व्यस्क निवासी चरलिया त० निम्बाहेड़ा
— प्रार्थीगण

//बनाम//

1. नंदलाल पिता शंकरलाल जी डांगी आयु व्यस्क, निवासी चरलिया त निम्बाहेड़ा
2. धनराज पिता शंकरलाल जी डांगी आयु व्यस्क, निवासी चरलिया त.
निम्बाहेड़ा
3. श्रीमती केसरबाई पिता शंकरलाल जी डांगी आयु व्यस्क, निवासी चरलिया
4. रतनलाल पिता शंकरलाल जी डांगी आयु व्यस्क, निवासी चरलिया त.
निम्बाहेड़ा
5. शंकरलाल पिता शंकरलाल जी डांगी आयु व्यस्क, निवासी चरलिया
6. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार निम्बाहेड़ा ।


— विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 रा०ले०रे० एक्ट
प्रार्थीगण की ओर से:— अधिवक्ता नरेन्द्र कुमार वेष्णव उपस्थित

आदेश

दिनांक:— 31-5-22

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 रा० ले०रे०एक्ट का प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी की आराजीयात वाके मौजा भोपाली पटवार हल्का भावलिया की खाता संख्या 112 आराजी नं. 8 रकबा 0.0400 हैक्टियर, आराजी नम्बर 10 रकबा 0.1100 हे०, आराजी न० 13 रकबा 2.000 हे०, आराजी न० 15 रकबा 0.3200 हे० आराजी न० 308/97 रकबा 0.1800 हे० कुल कित्ता 6 कुल करबा 0.9200 हे० भूमि प्रार्थी के खातेदारी कब्जे काश्त की है । साक्ष्य में नकल जमाबंदी पेश हैं । प्रार्थीगण वर्तमान में नये सेटलमेंट होने के बाद प्रार्थी की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजीयात जो पुराने नक्शा ट्रेस में तरमीम नहीं होने था तथा वर्तमान नक्शा ट्रेस में गलत रूप से तरमीम कर दिया है । जहां पर प्रार्थी पर काबिज हैं वहां पर प्रार्थी का नक्शा ट्रेस में अंकन सही रूप से नहीं किया है जो राजस्व कर्मचारियों की गलती से हुआ है तथा जहा पर प्रार्थी का कब्जा चल रहा है उस जगत विपक्षीगण का नक्शा ट्रेस में तरमीम कर दिया है । उक्त नक्शा ट्रेस में राजस्व कर्मचारियों की गलती से सेटलमेंट में नक्शा ट्रेस में गलत अंकन कर तरमीम कर दिया है तथा उक्त नक्शा ट्रेस में अंकन प्रार्थी के मोके पर कब्जे अनुसार नहीं किया है । इसीलिए उक्त नवीन नक्शा ट्रेस में तरमीम




के मौक पर काबिज अनुसार अंकन कर कब्जे अनुसार नक्शा ट्रेस व राजस्व लेख में इन्द्राज दुरुस्ती किया जाना न्यायहित में आवश्यक हैं।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को जरिये नोटिस तलव किया गया। विपक्षी तहसीलदार निम्बाहेड़ा ने मौका रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए प्रार्थी के हवाले से कब्जे अनुसार शुद्धीकरण किया जाना प्रस्तावित किया गया है। प्रार्थी एवं विपक्षीगण के नाम दर्ज रिकार्ड वर्तमान आराजीयात एवं मौके पर कब्जा काश्त में भिन्नता है। प्रकरण में काशीराम डांगी को पक्षकार नहीं बनाया गया है। अतः रिपोर्ट श्रीमान की सेवा में प्रेषित है।

हमने बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया। प्रार्थी ने सभी प्रभावित खातेदारों को प्रकरण में पक्षकार नहीं बनाया है जो भी त्रूटीपूर्ण है। बिना सभी प्रभावित पक्षों को सुने निर्णय दिया जाना प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तों के विपरित होगा। प्रार्थीगण अपने पक्ष को साबित करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने में असफल रहे हैं। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र साबित नहीं होने से खारीज किया जाता है। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

आज दिनांक 31.05.2022 को सरे इजलास सुनाया जाकर कम्प्युटराईज कराया गया।



(चन्द्रशेखर भण्डारी)
उपनिर्वाह अधिकारी
निम्बाहेड़ा